न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील आर्य (आर0ए0एस0)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 03/2025 (रिव्यु)

उनवान

1. भूप सिंह पुत्र नत्थी उम्र करीब 68 वर्ष जाति जाटव निवासी बसईनवाव तहसील बसईनवाव जिला धौलपुर।

.....रिव्युकर्ता।

बनाम

1. रामविलास पुत्र श्री नत्थी जाति जाटव निवासी बसई नवाव तहसील बसई नवाव जिला धौलपुर।
2. ओमवती पुत्री रामविलास जाति जाटव निवासी बसई नवाव तहसील बसईनवाव जिला धौलपुर हाल आबाद ग्राम टहरी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

..... नॉन रिव्युकर्ता।

रिव्यु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राज0टी0एक्ट0
व सिलसिले निर्णय दिनांक 28.01.2025

उपस्थित :–

1. श्री रामअवतार गौड एडवोकेट रिव्युकर्ता।

निर्णय **दिनांक :–30.01.2025**

1. यह रिव्यू प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28.01.2025 के विरूद्ध पेश किया गया है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 28.01.2025 को अपील संख्या 14/24(225 आरटीए) उनवानी भूप सिंह बनाम रामविलास में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2012 (अंतरिम) एवं दिनांक 31.05.2016 (अंतिम) में आंशिक संशोधन करते हुये विवादित आराजी में नॉन रिव्युकर्ता संख्या 01 के हिस्से में से नॉन रिव्युकर्ता संख्या 02 के बनने वाले नोशनल शेयर तक ही प्रभावी रखा गया है एवं शेष अन्य सहखातेदार यथा रिव्युकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त किया गया है। न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह रिव्यू प्रार्थना पत्र रिव्युकर्ता अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 29.01.2025 को प्रस्तुत किया गया है।

2. रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा की पत्रावली को शामिल मिसल किया गया।

3. विद्वान अधिवक्ता रिव्यूकर्ता ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि वर्तमान में नामान्तकरण कम्प्यूटरकृत हैं और कम्प्यूटर किसी प्रकार का स्थगन होने पर नामान्तकरण को लेता नहीं है। ऐसी स्थिति में पूरी जमाबन्दी में कोई भी स्थगन होने से अन्य सहखातेदार को परेशानी उठानी पडती है। न्यायालय हाजा ने नॉन रिव्युकर्ता संख्या 02 के विवादित आराजी में बनने वाले शेयर तक जो आदेश पारित किया है। उक्त आदेश से रिव्युकर्ता को कोई लाभ

भू० प्रबन्धक अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

नहीं पहुँचता है। क्योंकि उक्त नोट भी सम्पूर्ण जमाबन्दी पर ही रहेगा। अतः रिव्युकर्ता का नामान्तकरण एवं मुआवजा इत्यादि अनावश्यक रूके रहेंगें। अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर, रिव्युकर्ता को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस रिव्युकर्ता पर मनन किया गया। आवेदक रिव्युकर्ता का कथन है कि वर्तमान में नामान्तकरण कम्प्यूटरकृत हैं और कम्प्यूटर किसी प्रकार का स्थगन होने पर नामान्तकरण को लेता नहीं है। ऐसी स्थिति में पूरी जमाबन्दी में कोई भी स्थगन होने से अन्य सहखातेदार को परेशानी उठानी पडती है। हमने न्यायहित में इस तथ्य बाबत् सक्षम कार्यालय से राय भी ली गयी। प्रथम दृष्टया रिव्युकर्ता के कथन सारपूर्ण नजर आते हैं। चूंकि रिव्युकर्ता अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं थे। अतः उन्हें सुनवाई का अवसर भी नहीं मिला है। लिहाजा हम न्यायहित में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि रिव्यु प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2012 (अंतिम) एवं दिनांक 31.05.2016(अंतिम) निरस्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा जोडते हुये एवं उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, प्रकरण को अधिकतम एक माह में निस्तारण करें।

6. निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू० प्रबन्धक अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर धौलपुर

(सुनील आर्य)
भू. प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर